न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2022/764

1. बाबूलाल दत्तक पुत्र टोडरमल जाति रैगर निवासी अम्बेडकर नगर, मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी ए–17, आर्य नगर, मुरलीपुरा तहसील व जिला जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. बोदूराम पुत्र भीवाराम
2. बंशीधर पुत्र भीवाराम
3. कमली देवी पुत्री भीवाराम
4. सोनी देवी पुत्री भीवाराम समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
6. ग्राम पंचायत मनोहरपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (नाम हजफ)।
7. नगरपालिका जरिये चैयरमेन मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर आदेश दिनांक 27.09.2021 बउनवानी बाबूलाल बनाम ग्राम पंचायत मनोहरपुर।

उपस्थित–

1. श्री अशोक उपाध्याय वकील अपीलान्ट
2. श्री हीरालाल सैनी वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 3 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–15.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 27.09.2021 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा के निर्णय दिनांक 30.05.2016 द्वारा ग्राम पंचायत मनोहरपुर द्वारा दर्ज नामा0 संख्या 254 दिनांक 05.12.2011 को निरस्त कर रिमाण्ड किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा मृतक खातेदार टोडरमल के वारिसान् के संबध में ठोस प्रमाण नहीं होने का अंकन करते हुये विरासत का क्षेत्राधिकार नहीं होने एवं पक्षकारान् द्वारा सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश करने पर ही आगामी कार्यवाही किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 को दिये गये।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. तहसीलदार शाहपुरा के उक्त निर्णय दिनांक 27.09.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय दिनांक 27.09.2021 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी का स्वर्गीय दादा नानगा वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 3760 जिसके हाल खसरा नम्बर 5615, 5617 कुल रकबा 0.83 हैक्टेयर का खातेदार था। स्व0 नानगा के तीन पुत्र क्रमशः टोडरमल, भींवाराम, एवं रामदयाल हुये जिनमें से टोडरमल एवं भीवाराम फौत हो चुके। अपीलार्थी टोडरमल का दत्तक पुत्र है। टोडरमल ने अपने जीवन काल में ही अपीलार्थी को बाल्यावस्था में ही हिन्दू रितिरिवाज से गोद में बिठाकर गोद लिया था। द्वादशा कार्यक्रम पर अपीलार्थी के दत्तक पिता की पगडी गांव के मोजीज लोगो के सामने बांधी गयी एवं अपीलार्थी के दत्तक पिता स्व. टोडरमल की मृत्यू हो जाने पर ग्राम पंचायत मनोहपुर ने उनकी फोतगी का नामान्तकरण संख्या 254 बाद जांच दिनांक 05.11.2011 को अपीलार्थी के नाम स्वीकार किया गया। एवं नामान्तकरण संख्या 254 का इन्द्राज (अमल दरामद) राजस्व रिकोर्ड की जमाबंदी सम्वत 2067 से 2070 में हो चुका एवं अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि का 1/3 हिस्से का रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हुआ। अपीलार्थी के नाम स्वीकार किये गये विधिसम्वतं नामान्तकरण संख्या 254 की पुश्त के (पिछे) बिना क्षेत्राधिकार के एंव अपीलार्थी को बिना सूचना दिये व बिना सरपंच ग्राम पंचायत मनोहरपुर ने अनुचित एंव अवैध रूप से 05.12.2011 को नोट अंकित कर नामान्तकरण संख्या 254 खारिज कर दिया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2016 द्वारा नामान्तकरण संख्या 254 निर्णय दिनांक 05.11.2011 को रिमाण्ड कर पुन सुनवाई हेतु पत्र क्रमांक 544 दिनांक 21–06–2019 के द्वारा भिजवाया गया। जिस पर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा मृतक खातेदार टोडरमल के वारिसान् के संबध में ठोस प्रमाण नहीं होने का अंकन करते हुये विरासत का क्षेत्राधिकार नहीं होने एवं पक्षकारान् द्वारा सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश करने पर ही आगामी कार्यवाही किये जाने के विधिविरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 को दिये गये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश खारिज की जावे।

6. रेस्पो0 संख्या 1 व 3 के योग्य अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत आराजी के खातेदार काश्तकार स्व. नानगा के तीन पुत्र क्रमश स्व. टोडरमल, स्व. भीवाराम व स्व. रामदयाल हुए तथा अपीलांट बाबुलाल स्व. नानगा के सबसे छोटे लडके स्व. रामदयाल की संतान है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 दूसरे छोटे लडके स्व. भीवाराम की संताने है तथा स्व. नानगा के सबसे बड़े लडके स्व. टोडरमल की नाऔलाद फौत हो गई तथा अपीलांट (बाबुलाल) खुद को स्व. टोडरमल का दत्तक पुत्र बताता है जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट (बाबुलाल) अपने प्राकृतिक पिता के स्वयं एकमात्र पुत्र है जिसका कानुनन गोद दिया जाना संभव नहीं है तथा अपीलांट (बाबुलाल) द्वारा अपने प्राकृतिक पिता स्व. रामदयाल की मृत्यु के पश्चात न्यायालय तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अपने पिता की संपति में अपना 1/3 हिस्से का दिनांक 13.07.2017 को फौती नामांतरण संख्या 427 अपने नाम खुलवा कर जमाबन्दी संवंत 2074–2077 में अमल दराज करवा चुका है तथा अपीलांट (बाबुलाल) दो अलग अलग व्यक्तियो का पुत्र बनकर दो अलग अलग संपति प्राप्त नहीं कर सकता है तथा अपीलांट (बाबुलाल) द्वारा ऐसा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा, ठोस प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश नही किये जिससे यह साबित होता हो कि अपीलांट (बाबुलाल) स्व. टोडरमल के गोद आया हो तथा अपीलांट (बाबुलाल) द्वारा इस बात का भी उल्लेख नहीं किया गया कि स्व. टोडरमल द्वारा किस दिन किस महीने व किस वर्ष को अपीलांट (बाबुलाल) को गोद लिया गया था जिससे

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलांट (बाबुलाल) के समस्त तथ्य मनगढंत व कुटरचित साबित होते है। अपीलांट सक्षम न्यायालय से अपने हक–अधिकारों की घोषणा किये बिना उक्त अपील के माध्यम से नामा0 अनुतोष प्राप्त करने के विधिक अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण का अवलोकन किया एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.05.2016 से ग्राम पंचायत मनोहरपुर के आदेश दिनांक 05.12.2011 बाबत् नामा0 संख्या 254 को निरस्त कर तहसीलदार शाहपुरा को मृतक खातेदार टोडरमल पुत्र नानगा के वारिसान् के संबध में पुनः जॉच कर रिमाण्ड किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर तहसीलदार शाहपुरा द्वारा मृतक खातेदार टोडरमल के वारिसान् के संबध में ठोस प्रमाण नहीं होने एवं पक्षकारान् द्वारा सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश करने पर ही आगामी कार्यवाही किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.09.2021 को दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी स्वयं को स्व0 टोडरमल का दत्तक पुत्र बताते हुये आये हैं किन्तु अपीलार्थी द्वारा दत्तक पुत्र होने के संबंध में कोई पंजीकृत गोदनामा/ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा अपीलांट द्वारा अपने प्राकृतिक पिता स्व. रामदयाल की संपति में अपना 1/3 हिस्से का फौती नामान्तरकरण संख्या 427 दिनांक 13.07.2017 को अपने नाम खुलवाया जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में अमल–दरामद कराया जा चुका है। कानूनन एक ही व्यक्ति दो अलग–अलग व्यक्तियों का पुत्र बनकर सम्पत्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.2021 यथावत रखा जाता है।

(पुलक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर